सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी)/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए दिशा-निर्देश

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अगस्त, 2007

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी)/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए दिशा–निर्देश

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अगस्त, 2007

राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 वर्ष 1991 से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतर कृषि के स्तर पर पहुंचा दिया है। कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वार्षिक वृद्धि दर जो कि सुधारों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान 6 प्रतिशत थी वह हाल के वर्षों में बढ़कर 8 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अपने दृष्टिकोण दस्तावेज (एप्रोच पेपर) में उल्लेख किया है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जी डी पी में 9 प्रतिशत वृद्धि दर संभव होगी। बहरहाल, कृषि जो कि सुधारों के आरम्भ में कुल जीडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक थी, अपनी सुधार पूर्व वृद्धि को कायम रखने में असफल रही। इसके विपरीत नब्बे के दशक के मध्य के पश्चात वृद्धि में तेजी से गिरावट देखी गई। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि अधिकतर राज्यों में कृषि उत्पादकता काफी कम थी, और कृषि की वृद्धि की संभावना अधिक थी।

1.2 अस्सी के दशक के दौरान कृषि का जी डी पी वार्षिक रूप से 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। नौवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1996 से 2001–02) से ही भारत का लक्ष्य कृषि में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने का रहा है, किन्तु वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम रही है। देश के कार्यबल के 50 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति अब भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि अर्थव्यवस्था में घोर विपत्ति का कारण बन सकती है क्योंकि कृषि और समवर्गी क्षेत्र पर अब भी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आश्रित है। कृषि में धीमी वृद्धि के पीछे एक मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश में लगातार कमी रहना है। जबकि अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश विविध प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसी तरह का निवेश कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से कृषक समुदाय, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों में विपत्ति का कारण बन सकता है। अतः ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित किए जाने की जरूरत है कि वे कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में अपने निवेशों में वृद्धि करें।

1.3 कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के संबंध में व्यक्त चिंताओं के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) ने 29 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (आर के वी वाई) शुरू की जाए। एन डी सी ने संकल्प किया कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विकास रणनीतियों को नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि कृषि को नया रूप दिया जा सके। एन डी सी ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराई। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के संबंध में संकल्प इस प्रकार है :

> राज्यों को उनके कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्राकृतिक संसाधन संबंधी मुद्दों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने और पशुधन, कुक्कुट पालन और मत्स्यिकी को और अधिक पूर्ण तरीके से एकीकृत करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम शुरू करना। इसमें भूमि सुधारों के लाभार्थियों के लिए विशेष स्कीमों सहित इसकी विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अलावा राज्य–विशिष्ट रणनीतियों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रचालित राज्य योजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई स्कीम शामिल है। नई सृजित राष्ट्रीय वर्षा